

30



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R- 2957-I-16

प्रकरण क्रमांक

12016 पुनरीक्षण

श्री ~~ए.के. शर्मा~~  
द्वारा आज दि ~~13~~  
प्रस्तुत 6-7-16 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.K. Sharma  
6-7-16

6-7-16

1. भागीरथ तिवारी पुत्र श्री प्रभदुयाल तिवारी निवासी- जानकीबाग, टीकमगढ़, म०प्र०
2. हरिहर तिवारी पुत्र श्री भागीरथ तिवारी
3. श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री भागीरथ तिवारी निवासीगण- जानकीबाग, टीकमगढ़, म०प्र० ---आवेदकगण

बनाम

गोविन्दसिंह सिसौदिया पुत्र श्री शिवराजसिंह सिसौदिया निवासी- मातोल, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़, हाल निवासी- मामोन दरवाजा, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म०प्र०

--अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 08/06/2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 181/बी-121/2012-13 व उनवान मोहन आदि बनाम भागीरथ आदि।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

निगरानी 2257-एक/2016

जिला टीकमगढ़  
-भागीरथ वि. गोविन्द-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<u>20-02-2019</u>	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थि नहीं। भागीरथ प्रसाद आदि द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 181/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08-6-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य 20/2/2019</p>